क्रमांक व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ईदो vs हेमराज वगै० अपील न०	
3/5/19	वकील अपीलांट व वकील रेस्पोंडेंट उप० तहसील अक्सोरा से अपील वगैरा तलब हुआ। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/5/19 को पेश हो।	
8/5/19	तारीख पेशी जनरल नोटिस से बदली जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील फरीकेन उप०/SDO साहब ~~दीगर कार्यो में व्यस्त~~ है। पूर्वानुसार दि० 15/5/19 को पेश है।	
15/5/19	वकील फरीकेन उप० बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/5/19 को पेश हो।	
29/5/19	वकील फरीकेन उप० अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हुमार रेकार्ड नम्बर से कमरे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
05/15	अपील नामा0	02.12.15	29.05.2019

1. ईदो बेवा दुर्गा । जाति तेली निवासी करणपुर सब तहसील करणपुर
2. मूरी पुत्री दुर्गा पत्नि मादी । तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. गुड्डी पुत्री दुर्गा पत्नि रघुवीर ।

—अपीलॉण्ट्स

बनाम

हेमराज पुत्र हजारी जाति मीना निवासी करीलपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण आदेश सरपंच ग्राम पंचायत करणपुर नामा0 सं0 1028 दिनांक 20.08.2015

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी पूर्व-मे दुर्गा पुत्र नथुआ जाति तेली निवासी करणपुर की खातेदारी की थी दुर्गा के अपीलॉण्ट सं0 1 पत्नि एवं अपीलॉण्ट सं0 2 व 3 पुत्रीया एवं रामबाबू, ओमप्रकाश पुत्रगण थे। ओमप्रकाश फोत हो गया। रामबाबू व ओमप्रकाश ने राजस्व कर्मियों से साजिश करके दुर्गा के अपीलॉण्ट वारिश होते हुए भी गलत तरीके से रामबाबू व ओमप्रकाश के नाम नामान्तरकरण खुलवा दिया। ओमप्रकाश के फोत होने पर उसकी पत्नि व पुत्रीयों ने गलत तरीके से नामा0 खुलवा लिया। इसके बाद ओमप्रकाश की पत्नि कुतमा ने साज पूर्ण तरीके से न्यायालय एस. डी. ओ. सपोटरा के यहाँ दावा उनवानी ईदो बनाम रामबाबू घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का एवं दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा लम्बित होते हुए भी रेस्पोडेंट के नाम वयनामा गलत तरीके से पंजीबद्व करा लिया और रेस्पोडेंट अपने नाम उक्त नामा0 गलत खुलवा लिया। जबकि अपीलाण्ट्स का उक्त आराजी पर अपने हिस्से मुताबिक कब्जा काश्त है। दौराने दावा उक्त वयनामा का नामान्तरकरण कानून के विरूद्व खोला गया है। अतः अपील अपीलॉण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तररकरण सं0 1028 दिनांक 20.08.15 अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस की गई। रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर जरिये वकील वकालतनामा पेशकर अपनी उपस्थिति दी। तहसीलदार सपोटरा से अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 1028 ग्राम गढी का गांव पटवार हल्का करणपुर मे अंकन से यह स्पष्ट है कि कुतमा बेवा ओमप्रकाश नीतू पूजा सुमन पुत्रीया ओमप्रकाश ने हिस्सा 1/6 की आराजी को रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करा दिया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किया जाना कानूनन उचित है। नामान्तरकरण अपील के माध्यम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण को खारिज किया जाना कानूनन उचित प्रतीत नही होता है। अपीलॉण्ट वकील ने अपील तथ्यों मे विवादित आराजीयात पर अस्थायी निषेधाज्ञा लागू होने का जिक्र किया है किन्तु इसके सम्बन्ध मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का स्थगन हो। विवादित आराजीयात से सम्बन्धित घोषणा का वाद पत्र इस न्यायालय मे विचाराधीन है जिसे साक्ष्य सबूतो के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावेगा। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलॉण्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति तहसीलदार सपोटरा को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner